



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]  
No. 349]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 1981/श्रावण 5, 1903  
NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 1981/SRAVANA 5, 1903

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1981

का. भा. 608 (अ).—राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवटन) नियम, 1981 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवटन) (एक मी अड्डतानीसवा संशोधन) नियम, 1981 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंग ।

भारत सरकार (कार्य-आवटन) नियम, 1981 में, —

(क) प्रथम अनुसूची में, प्रविष्टि "30 मंत्रिमंडल सचिवालय" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् — 30 मंत्रिमंडल सचिवालय

(सचिवालय के अन्दर महासागर विकास विभाग सहित)

(ख) द्वितीय अनुसूची में, —

(1) "विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीर्षक के

अंतर्गत, प्रविष्टि 4 और 14 का लोप किया जाएगा ;

"मंत्रिमंडल सचिवालय" शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के नीचे निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात् —

"महासागर विकास विभाग

1 महासागर से संबंधित ऐसे मामले जो किसी अन्य विभाग/मंत्रालय को विशिष्टता आवंटित न किए गए हों ।

2 महासागर से सम्बन्धित नीतियाँ, समन्वय, सुरक्षा, विनियमन उपाय और विकास, सहित, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगं, —

(1) अनुसंधान (मौलिक अनुसंधान सहित) और उसमें संबंधित उपयोगों का विकास,

(2) प्रायोगिकीय विकास,

(3) दिज्ञीव और सजीव समृद्धी साधनों की उपलब्धता का पता लगाने और उनका मानचित्रांकन करने के लिए सर्वेक्षण,

(4) परिरक्षण, संधारण और संरक्षण,

- (5) समुचित कौशल और प्रशिक्षित धर्म का विकास;  
 (6) सहयोग, तकनीकी सहयोग सहित; और  
 (7) जायुक्त से संबंधित कानून ।
3. महासागर आयोग ।  
 4. सर्वभारतीय समुद्र विज्ञान संगम ।  
 5. महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी अभिकरण अथवा बोर्ड ।” ।

नीलम सजीव रेड्डी,  
 राष्ट्रपति

[सं. 74/3/5/81-मंत्रि.]

कं. सहगल, अपर सचिव

### CABINET SECRETARIAT

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 1981

**S.O. 608(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and forty-eight Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(a) In the First Schedule, for entry “30. Cabinet Secretariat (Mantrimandal Sachivalaya)”, the following entry shall

be substituted, namely :—

“30. Cabinet Secretariat (Mantrimandal Sachivalaya) :  
 [with a Department of Ocean Development (Mahasagar Vikas Vibhag) within the Secretariat (Sachivalaya)];”

(b) in the Second Schedule,—

(i) under the heading “DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PROD-YOGIKI VIBHAG)”, entries 4 and 14 shall be omitted;

(ii) under the heading “CABINET SECRETARIAT (MANTRIMANDAL SACHIVALAYA)” and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely :—

“DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT (MAHASAGAR VIKAS VIBHAG)

1. Matters relating to the Ocean and not specifically allocated to any other Department/Ministry.

2. Policies, including coordination, security, regulatory measures and development relating to the Ocean and covering, inter-alia,—

(i) research (including fundamental research) and the development of uses relating thereto;

(ii) technological development;

(iii) surveys to map and locate the availability of non-living and living marine resources;

(iv) preservation, conservation and protection;

(v) development of appropriate skills and manpower;

(vi) collaboration, including technical collaboration; and

(vii) laws relating to the above.

3. Ocean Commission.

4. The Pan-Indian Ocean Science Association.

5. Ocean Science and Technology Agency or Board.”

N. SANJIVA REDDY, President.

[No. 74/3/5/81-Cab.]

K. SAIGAL, Addl. Secy.